



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24062026-273786
CG-MH-E-24062026-273786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3205]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/ आषाढ 1, 1948

No. 3205]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ ASADHA 1, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 18 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ.3338(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से महाराष्ट्र राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारियों को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारणी

क्रमांक संख्या	सक्षम अधिकारी	विशेष रेल परियोजना के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	उपविभागीय अधिकारी अमलनेर भाग, अमलनेर	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (जलगांव जिला)

2.	उपविभागीय अधिकारी एरंडोल भाग, एरंडोल (एरंडोल और धरणगांव तहसील हेतु)	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (जलगांव जिला)
3.	उपविभागीय अधिकारी भुसावल भाग, भुसावल (भुसावल और बोदवड तहसील हेतु)	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (जलगांव जिला)
4.	विशेष भूसंपादन अधिकारी जलगांव	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (जलगांव जिला)

[फा. सं. G197/DFCCIL Project/Jalgaon District/7A]
भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th June, 2026

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O.3338(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the Officer mentioned in **column (2)** of the table below as the “**Competent Authority**” to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in **column (3)** of the table below in the state of Maharashtra with effect from the date of publication of this notification of the official Gazette.

TABLE

SR. No.	Competent Authority	Name of the special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	Sub Divisional Officer (SDO), Amalner Division, Amalner	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East to Surat in the West (Jalgaon district)
2.	Sub Divisional Officer (SDO), Erandol Division, Erandol (For Tehsil Erandol and Dharangaon)	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East to Surat in the West (Jalgaon district)
3.	Sub Divisional Officer (SDO), Bhusawal Division, Bhusawal (For Tehsil Bhusawal and Bodwad)	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East to Surat in the West (Jalgaon district)
4.	Special Land Acquisition Officer, Jalgaon	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East to Surat in the West (Jalgaon district)

[F. No: G197/DFCCIL Project/Jalgaon District/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)